संख्या-8/2022/वे0आ0-1-215513/दस-2022-36(एम)/08

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2022

विषय- राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2020/वे०आ०-1-715/दस-2020-36(एम)/08 दिनांक 05.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के लिये निर्गत हुआ है। टंकण की त्रुटि से उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की तृतीय पक्ति में **'प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, संस्थाओं'** टंकित हो गया है जबकि उक्त शासनादेश निर्गत किये जाने के लिये स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को बोनस दिये जाने का न ही कोई निर्णय लिया गया है और न ही पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कभी भी स्वशासी संस्थाओं के कर्मियों को बोनस अनुमन्य किया गया है।

2. अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05.11.2020 के प्रस्तर-3 के तृतीय पॅक्ति में **'प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं'** के बाद टंकित **'संस्थाओं'** शब्द को उक्त शासनादेश दिनांक 05.11.2020 के जारी होने की तिथि से विलोपित समझा जाय एवं उक्त त्रुटिपूर्ण टंकण के फलस्वरूप यदि बोनस के भुगतान की कोई कार्यवाही हुई हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित कर ली जाय।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2022/वे0आ0-1-215513(1)/दस-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001.
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर विकास अनुभाग-1/3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-1/3, आवास अनुभाग-2 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
(9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 तथा 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(11) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0 (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।
(14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(15) प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(16) महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।